



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/२०१९-१४/१७७

ए.पि. (डिआइआर चिबिज) चार्कुलाब नं २०

१७ मार्च, २०१४

सकलो कर्तृप्रप्राप्त डीलाब केटेगरी-१ बेंक

महाशय/महाशया,

बाणिज्यिक ऋणदानब बाबे वुजापबाब पत्र (एलअइउ) आबू पोषकता पत्र (एलअचि)ब सामबणि

कर्तृप्रप्राप्त विक्रेता श्रेणी-१ (ए डि केटेगरी-१) बेंकबोबब मनोयोग, ए डि बेंकब प्रतिनिधियप्रप्राप्त ऋमतार अधीनत भारतले आमदानिब बाबे एलअइउ/एलअचि/बाणिज्यिक ऋणदानब गेबान्ति जाबि विषयक समये समये संशोधित मते, पबराष्ट्रीय बाणिज्यिक धार, बाणिज्यिक आकलन आबू कर्तृप्रप्राप्त विक्रेता बहिःभूत ब्यक्तिब द्वाबा विदेशी मुद्रा ऋणदान (मूल निर्देशना)ब ओपबत ए.पि. (डिआइआर चिबिज) चार्कुलाब नं २४ दिनांक १ नबरेम्ब, २००४ब पबिच्छेद २ले आबू मूल निर्देशना नं ५ दिनांक १ जानुबारी, २००६ब पबिच्छेद ५.५ले आकर्षण कबा हल।

२. बर्तमाने प्रचलित निर्देशनामाब पर्यालोचना कबि, ए डि केटेगरी बेंक-१बोबब द्वाबा भारतले आमदानिब बाबे बाणिज्यिक ऋणदानब कारणे एलअइउ/एलअचि जाबिकबणब प्रथाटो तत्काले सामबिबले सिद्धान्त लोबरा हैछे। गेबान्ति आबू क-एचेपेम्स सम्पकीय बेङकिं विनियम विभागब माष्टाब चार्कुलाब नं डिबिआब.नं.डिआइ.बिचि.११/१७.०७.००/२०१५-१६ दिनांक १ जुलाई, २०१५त सन्निबिष्ट ब्यबसाहरी पूबण सापेक्षे भारतले आमदानिब बाबे आकलन पत्र आबू बेंक गेबान्ति जाबि कबि थाकिब पाबिब।

७. ए डि केटेगरी-१ बेंकबोबे एइ चार्कुलाबब विषयबस्तुथिनि निजब नियोजक आबू ग्राहकसकलब दुष्टिगोचब कबिब।

४. साम्प्रतिक साल-सलनिबोब प्रतिफलित कबि उपबिउक्त मूल निर्देशना नं ५ दिनांक १ जानुबारी, २०१६ उन्नीत कबा ह'ब। एइ चार्कुलाब जाबिब तबिखब पबाइ सालसलनिबोब प्रयोज्य ह'ब।

५. एइ चार्कुलाबत सन्निबिष्ट निर्देशनाबोब विदेशी मुद्रा ब्यबसाहपना आइन, १९९९ (१९९९ब ४२)ब धाबा १०(४) आबू धाबा ११(१)ब अन्तर्गत जाबि कबा हैछे आबू अन्य कोनो आइनब अन्तर्गत आबश्यक होबरा, यदि किबा थाके, अनुमति/अनुमोदनब अबिचार अबिहने कबा हैछे।

आपोनाब विश्वासी,

(अजय कुमाब मिश्र)

मुख्य महा प्रबन्क